विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/ 1058 दिनांक : 3|8|17

प्रति,

प्राचार्य,
लोमान्य तिलक विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय,
रेल्वे स्टेशन के पीछे,नीलगंगा रोड़,उज्जैन।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता–निरंतरता आवेदन क्रमांक/53,दिनांक 11.04.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता/**सम्बद्धता–निरंतरता** प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2017 में प्रस्तुत किया गया,जिसमें"निर्णय लिया गया कि,लोक मान्य तिलक विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय,उज्जैन में सत्र 2016–17 से एम.कॉम.एवं डी.व्हाय.एड.(डिप्लोमा इन योगिक विज्ञान)पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2016–17 से एम.कॉम.एवं डी.व्हाय.एड.(डिप्लोमा इन योगिक विज्ञान)पाठ्यक्रम की सशर्त अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने के शपथ पत्र के आधार पर सशर्त प्रदान की जाये।"

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2016–17 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान की जाती है :–

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	एम.कॉम.	60
02.	डी.व्हाय.एड.(डिप्लोमा इन योगिक विज्ञान)	30

शर्ते :–01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।

02. पुस्तकालय में विषयों से सम्बन्धित पुस्तकों की संख्या 25% वृद्धि की जाये।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण कर विश्वविद्यालय को अवगत करावें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/ 786

दिनांक :- 10-4-1

-:: सूचना ::-

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/पू स्वीकृत संख्या में वृद्धि/सम्बद्धता निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचा कर संबंधित महाविद्यालयों का निरीक्षण करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा परिनियम क्रमांक 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/1887,दिनांक 13.06.2016,द्वारा किया गया था जिसमें निम्नानुसार संशोध किया गया है :-

A महाविद्यालय का नाम :- लोकमान्य तिलक विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय,उज्जैन।

B आवेदित विषय/पाठ्यक्रम :- एम.कॉम.- पूर्वार्द्ध व उत्तरार्द्ध
D.Y. Ed.- योगिक विज्ञान

C समिति के सदस्यों के नाम :-

01. प्रो. एच.एस.राठौर - आचार्य,प्राणिकी अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
02. डॉ. बी.एस.चौहान - आचार्य,सतत् शिक्षा अध्ययनशाला,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
03. डॉ. जे.आर.सिंह - विभागाध्यक्ष,सांख्यिकी अध्ययनशाला,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि, वे निरीक्षण प्रतिवेदन में परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर पूर्व एवं वर्तमान का सम्बद्धता शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ प्राधिकृत, संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र भवन,क्रीड़ा परिसर, एवं पाठ्यक्रम आर्डिनेंस तथा पिछले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी विषयों की सम्बद्धता की शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण-पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट अनुशंसाए अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाऐं/संसाधन के भौतिक सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचनार्थ कि कृपया अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की गई विडीयोग्राफी की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जा सके। विडीयोग्राफी के खर्च का वहन महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता तथा समिति द्वारा प्रयुक्त वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा

महाविद्यालय का नाम :– लोकमान्य तिलक विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन।

निरीक्षण तिथि 23.07.2017

सम्बद्धता हेतु पाठ्यक्रम / विषय एम कॉम

DY. Ed. यौगिक विज्ञान

सम्बद्धता हेतु प्रस्ताव :–

1. प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय की सम्बद्धता।
2. पूर्व संचालित पाठ्यक्रम / विषय / नवीन पाठ्यक्रम की निरन्तरता / सम्बद्धता हेतु।
3. पूर्व स्वीकृत विद्यार्थियो की संख्या मे वृद्धि।
4. स्थाई सम्बद्धता।

महाविद्यालय का निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति ने किया ।

निरीक्षण समिति की अनुशंसा निम्नानुसार है :–

परिनियम क्र. 27 एवं 28 के अनुसार महाविद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अध्यापन हेतु उपलब्ध संसाधनो व सुविधाओं के अवलोकन एवं उनकी उपलब्धता के समर्थन में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के आधार पर समिति अनुशंसा करती है, कि महाविद्यालय को आवेदित उपरोक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2016-2017 में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने / सीट वृद्धि करने पर विचार किया जा सकता है।

महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम / विषय में निम्नानुसार अधिकतम विद्यार्थियो की प्रवेश संख्या के साथ अस्थायी सम्बद्धता दी / सीट वृद्धि की जा सकती है :–

पाठ्यक्रम का नाम	अधिकतम सीट संख्या
एम कॉम	60
DY. Ed यौगिक विज्ञान	30

निरिक्षण समिति यह अनुशंसा करती है कि महाविद्यालय को निम्नांकित बिन्दुओं की पूर्ति अतिशीघ्र करने की प्रत्याशा में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की / सीटों में वृद्धि की जा सकती है।

01. महाविद्यालय का स्वयं का भवन। अधोसंरचना पर्याप्त है।
02. कोड 28 के तहत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है।
03. पुस्तकालय में विषयों से सम्बन्धित पुस्तकों की संख्या 25%
04. बढ़ाई जावे। कम्प्यूटर लैब संतोषजनक है। निरीक्षण के समय
05. स्टाफ उपस्थित था। वर्तमान सत्र 2017-18 के लिए

DY-Ed यौगिक विज्ञान का Ordinance वि.वि. द्वारा स्वीकृत किया है। समिति उपरोक्त शर्तों की पूर्ति की प्रत्याशा में महाविद्यालय को सत्र 2016-17 के सम्बद्धता – निरन्तरता की अनुशंसा करती है।

सदस्य 24.7.17 सदस्य 23.7.17 सदस्य 23.7.17

(सहायक कुलसचिव अकादमिक – संयोजक)

D:/vyas80